...कारी महोदय, मसूदा, जिला-अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या- 4 सन 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2013/00087 बालू V/s सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/11/17	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के पूर्व खातेदारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारा विवादित भूमि को खरीद करने तथा विवादित भूमियों पर अपना कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आने के कारण प्रार्थी को विवादित भूमियों में काश्त करने में किसी प्रकार की रुकावट अथवा बाधा उत्पन्न नहीं करे बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने पूर्व खातेदारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के द्वारा भूमियां खरीद करने बाबत बेचाननामा प्रस्तुत किया गया है किन्तु पूर्व खातेदारों जब बेचान किया उस वक्त वह खातेदार विवादित भूमि में थे या नहीं उसके विषय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया। एवं प्रार्थी ने अपने कब्जे बाबत भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि विवादित भूमि जमाबंदी 2065 से 2068 में खातेदार के कॉलम में बंजर भूमि दर्ज होना पाया गया इस प्रकार प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्ध होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. अप्रार्थीगण के विरुद्ध खारीज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना वहन करें।	

मसूदा (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

पर आधारित है एवं वादी/प्रार्थी को उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 15:51:20 IST
Reason: SelfAttested